

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक विवरण

दिनांक आज का कार्यवाही

5/4/21

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्तु जवाब प्रेशेनदार सरकार अज्ञाती हेतु दिनांक 29/4/21 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बरसी जिला-जयपुर

28/4/21

पत्रावली कोर्ट में पेश करने के कारण दिनांक 8/7/21 को पेश हो।

8/7/21

पत्रावली कोर्ट में पेश करने के कारण दिनांक 31/8/21 को पेश हो।

31/8/21

पत्रावली कोर्ट में पेश करने के कारण दिनांक 22/10/21 को पेश हो।

22/10/21

राजस्थान सरकार राजस्व (यु.प.1) विभाग व आदेश क्रमांक 4.12 (2) राज-1/2021 दिनांक 03-09-2021 की पालना में पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में केम्प कोर्ट मानसर खेड़ी में दिनांक 18/11/21 को पेश हो।

8/11/21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के महत केम्प मानसर खेड़ी में पेश हुई। प्रार्थी (व्यंग्य अपेक्षित) जिसकी पहचान ग्राम पंचायत मानसर खेड़ी के द्वारा की गई। अप्रार्थी महलीलवार बरसी के द्वारा जवाब पेश किया गया। महलीलवार बरसी के जवाब अनुसार खतरा नं 337/144/294 रकबा 0.12 हेक्टा एरीश कुमार जू मैलवास करनानी यह है

Ushita 8/11/21 सरपंच

ग्राम पंचायत मानसर खेड़ी पं.सं. बरसी, जयपुर

उप खण्ड अधिकारी बरसी (जिला-जयपुर)

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप में
		<p>जयपुर के नाम दर्ज हुआ है जिसमें से आवेदन खसरा नम्बर 330/144/294 रकबा 2-18 नामान्तरकरण 379/2018/2004 के द्वारा प्रार्थी के नाम स्वतंत्र दफ्तरी इन्फ्री 1 तथा नवीन जमावदी के तहत समग्र उक्त आवेदन खसरा नम्बर 330/144 रकबा 2-15 संखन से दर्ज कर दिया गया था जो लिफ्टिंग ठेकेदारों: उक्त आवेदन खसरा नम्बर 330/144 रकबा 2-15 के स्थान पर रकबा 2-18 किया जाना उचित है। अर्थात् नामान्तरकरण संख्या 497 दिनांक 14/12/2010 अर्थात् द्वारा ख. नं. 330/144 रकबा 2-18 बिस्वा में से 0.08 बिस्वा (1012 वर्गमीटर) क्षेत्र परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज होने पर उक्त आराजी ख. नं. 330/144 रकबा 2-07 के स्थान पर 2-10 बीघा किया जाना उचित बताया है। फावली का अवलोकन एवं फावली पर मौजूद वस्तुवियों का अवलोकन एवं प्रार्थी को मुक्ति के पत्रचात पहलीलवार वलसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने के आवेदन दिए जाते हैं एवं पहलीलवार वलसी को आवेदन दिए जाते हैं कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 330/144/294 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा में से नामान्तरकरण संख्या 497 दिनांक 14/12/2010 के द्वारा 8 बिस्वा भूमि जोता परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज होने पर शेष भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा शेष रहती है अतः उक्त आराजी ख. नं. 330/144</p>


उप-खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला-जयपुर)

रकबा 2.07 बीघा के स्थान पर 2.10 बीघा
 कुकृत किया जाने आवेडा दिए जाते हैं उक्ता अनुसार
 राजस्व रिकॉर्ड कुकृत कर अमल परामर्श
 किया जाने। उक्ता अनुसार गहसीलवार बस्सी
 को गहरीर जारी है। गहसीलवार बस्सी उक्त
 आवेडा की पालना 15 दीवस में किया जाना
 सुनिश्चित करे!

पन्नावली जसल कुमार

द्वेकार दर्जे नम्बर से कम होने पर दरकिल
 दफतर है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2021 को खेती
 व्यायाम एवं प्रशासन शक्ति के संगे अभियान
 2021 के महल के रूप में आलसर शैली एवं मजमे
 आम में सुनाया गया!


 उप खण्ड अधिकारी
 बस्सी (जिला-जयपुर)